

Partnership deed banane ke liye 3 partners ke liye निम्न documents और जानकारी जरूरी है: सभी partners के documents, business details, sharing ratio, और notarized deed चाहिए होते हैं.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सूची

Partners का PAN Card: सभी partners का PAN कार्ड identity proof के लिए देना जरूरी है.

Partners का Address Proof: आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या utility bill जैसे address proof देना होगा.

Firm का PAN Card: Partnership firm का खुद का PAN जरूरी है, जिसे Form 49A से apply किया जाता है.

Firm का Address Proof: Registered office का address proof — अगर किराए पर है तो rent agreement, NOC (No Objection Certificate) landlord से, और latest utility bill.

Partnership Deed (Draft): Partnership deed को non-judicial stamp paper पर बनवाना और सभी partners की sign के साथ notarize करवाना जरूरी है.

Business Details: Deed में किस business में काम किया जाएगा, साफ-साफ लिखना होता है.

Profit-Sharing Ratio: हर partner का कितना percent share रहेगा, यह details deed में लिखनी होती है — जैसे 40%-30%-30% या कोई और agreed ratio.

Capital Contribution: हर partner कितना capital डालेगा, ये जानकारी deed में mention करनी होती है.

Registration Documents: Partnership deed को Sub-Registrar/Registrar Office में जमा करना, witnesses के sign के साथ.

GST Certificate (अगर लागू हो): अगर business GST में आता है तो GST registration certificate देना होगा.

Other (Optional): MSME registration, net worth certificate, income tax declaration आदि कभी कभी बैंक या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मांग सकते हैं.

Partnership Deed में जो बातें लिखनी जरूरी हैं

Firm का नाम और registered address.

सभी partners का नाम, address, designation.

Business का प्रकार (nature of business).

Firm की duration — unlimited या specific project के लिए.

Profit-sharing और loss-sharing ratio का साफ विवरण.

Salary, commission या किसी partner के लिए कोई extra benefits.

Capital contribution details.